

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

पूनम कुमारी,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना

पटना-15, दिनांक- /02/2025

विषय :-

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रगति यात्रा के दौरान किये गये घोषणा के अनुपालन में ईको टूरिज्म के दृष्टिकोण से नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के राजगीर वन प्रक्षेत्र में अवस्थित ऐतिहासिक स्थलों का विस्तार एवं राजगीर वन संरक्षण कार्य हेतु इको-पर्यटन एवं पार्क का विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 तक कुल ₹748.18 लाख (सात करोड़ अड़तालीस लाख अठारह हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹10.00 लाख (दस लाख रुपये) मात्र के व्यय की अनुमति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रगति यात्रा के दौरान किये गये घोषणा के अनुपालन में ईको टूरिज्म के दृष्टिकोण से नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के राजगीर वन प्रक्षेत्र में अवस्थित ऐतिहासिक स्थलों का विस्तार एवं राजगीर वन संरक्षण कार्य हेतु इको-पर्यटन एवं पार्क का विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 तक कुल ₹748.18 लाख (सात करोड़ अड़तालीस लाख अठारह हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹10.00 लाख (दस लाख रुपये) मात्र के व्यय की अनुमति प्रदान की जाती है।

इस योजना का क्रियान्वयन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के पत्रांक-192 दिनांक-24.02.2025 द्वारा सम्प्रेषित सारांशित कार्य योजना/प्राक्कलन जो परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है, के अनुरूप किया जायेगा।

2. स्वीकृत राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्यजीव, लघु शीर्ष-112-सार्वजनिक उद्यान, उपशीर्ष-0101 इको पर्यटन एवं पार्क का विकास, मांग संख्या-19, विपत्र कोड-19-2406021120101 के सुसंगत विषय शीर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध उपबन्धित राशि के तहत की जायेगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ होंगे तथा राशि की निकासी उनके संबंध कोषागार से की जायेगी।

4. इस योजना के क्रियान्वयन के समय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी का भुगतान श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर पर ही हो।

5. इस राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्त नियमावली में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

6. राशि के अग्रिम निकासी पर वित्त विभागीय पत्रांक-2221 दिनांक-15.04.2020 द्वारा शिथिलीकरण प्राप्त है, अतएव राशि के आवंटन के समय वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 की कंडिका-15 को छोड़कर शेष कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

7. योजना की स्वीकृति को दर की स्वीकृति नहीं माना जाए। इस योजना की स्वीकृति प्राक्कलित दर के आधार पर दी जा रही है। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार विधिवत अनुमोदित दर के अनुरूप ही राशि का व्यय किया जायेगा।
8. सामग्री/सेवाओं की अधिप्राप्ति बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।
9. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
10. स्वीकृत राशि विमुक्ति के समय वर्णित योजना के प्राक्कलित राशि पर सक्षम स्तर का तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर लिया जाय।
11. योजना क्रियान्वयन का नियमित पर्यवेक्षण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण कराया जायेगा।
12. इस योजना अन्तर्गत क्रियान्वित योजना का दो अलग-अलग रंगीन छाया चित्र तथा स्थल जाँच प्रमाण-पत्र प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार के कार्यालय में संधारित किया जायेगा। भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन ससमय विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
13. योजना के क्रियान्वयन में यदि किसी प्रकार की अनियमितता होती है, तो योजना को क्रियान्वित/निरीक्षण/पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करने वाले पदाधिकारियों की जवाबदेही होगी।
14. जनसाधारण को अवगत कराये जाने एवं पारदर्शिता के निमित्त विवरणी सूचना पट्ट में प्रदर्शित किया जायेगा।
15. संचिका संख्या-93/2025 के पृष्ठ-03/टि० पर दिनांक-24.02.2025 को प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। दिनांक-24.02.2025 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव के स्वीकृति की अनुशंसा की गई है।
16. संचिका संख्या-93/2025 के पृष्ठ-05/टि० पर दिनांक-24.02.2025 को माननीय विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है एवं संचिका के पृष्ठ-06/टि० पर दिनांक-25.02.2025 को प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनुलग्नक - यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-93/2025 904 /प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक-25/02/2025

प्रतिलिपि :- (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/बजट शाखा (दो प्रतियों में)/आई०टी० (मैनेजर), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

DEVELOPMENT OF HERITAGE SITES AND FOREST CONSERVATION OF RAJGIR HILLS

Sl No	Work Description	Unit	Quantity	Rate	Amount
	A. Heritage Walk development in all Hills (Vaibhargiri, Vipulgiri, songiri, ratnagiri, udayagiri)				
1	Installation of new sandstone based pathway for accessing heritage site (including additional carriage cost for hill based pathway development)	sqm	5578	1245.8	6949072.4
2	Repairing of existing pathway (sandstone and stone based)	sqm	22548	548	12356304
3	Provision of Moorum pathway along fireline for dedicated horse kart routes(6KM)	sqm	21000	147.1	3089100
4	Provision of MS Railing along the important pathways (2.8KM)	sqm	3876	7233	28035108
7	Protection of historical sites with vegetation barrier (12 sites)	Each	12	471000	5652000
8	Provision of Biodigestible toilets at key location for every hill	Each	4	853900	3415600
9	Provision of two Drinking water facility at key location for every hill	Each	8	248500	1988000
10	Installation of eco friendly Main gates to welcome and sensitise the visitors at each hill (wood nd stone based)	Each	5	480000	2400000
11	Development of nature based view points at seven locations along trek route	Each	7	180000	1260000
12	Development of Herbal/Medicinal Haats at key locations	Each	4	250000	1000000
13	Provision of signages and information panels	LS			2550000
14	Provision of eco friendly seating arrangements with tensile superstructure	Each	12	388000	4656000
					0
	CONSULTANCY AND CONTINGENCY	%	2		1467023.688
	GRAND TOTAL				74818208

Forwarded

Conservator of Forests
Patna Circle, Patna

Divisional Forest Officer
Nalanda Forest Division, Bihar Sharif

Technical Approval is accorded on Summary of Schemes of Rs. 7,48,18,208 (Seven crore forty Eight Lakh Eighteen Thousand Two hundred Eight only).

Regional Chief Conservator of Forest
Patna.